Result Mitra Daily Magazine

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC, International Criminal Court) ने "मानवता के खिलाफ अपराध एवं युद्ध अपराधों" के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
- इनके अलावा ICC ने हमास नेता इब्राहिम अल मसरी जिन्हें "मोहम्मद डेफ" के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
- इस वर्ष नवंबर की शुरुआत में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हमास द्वारा पकड़े गए इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए हमास से समझौते की वकालत करने पर रक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया है।
- इजरायल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसने हवाई हमले में हमास नेता मोहम्मद डेफ को मार गिराया है लेकिन हमास ने अभी तक न ही इसकी पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है।

➢ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) क्या है ?

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC, International Criminal Court) की स्थापना वर्ष 1998 में "रोम कानून" नामक संधि के तहत की गई थी।

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र निकाय है, जो नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रमकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर जांच एवं मुकदमा चलाता है।
- 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के राजनयिक सम्मेलन द्वारा इसे अपनाया गया।
- हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन "रोम संधि" का अनुच्छेद–2 ICC के साथ संयुक्त राष्ट्र के संबंधों का प्रावधान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र–ICC समझौता दोनों संगठनों के बीच सहयोग को नियंत्रित करता है।
- वर्तमान में विश्व के 124 देश रोम संविधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पक्षकार हैं।
- हालांकि भारत, चीन और अमेरिका ICC के सदस्य नहीं है।
- ICC का मुख्यालय द हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।
- 1 जुलाई 2002 को 60 देशों के अनुसमर्थन के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय औपचारिक रूप से स्थापित हुआ।
- 8 जुलाई 2005 को ICC द्वारा पहला गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
- ICC में लगभग 100 देशों के 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है।
- ICC की कार्यवाही अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में होती है।
- ICC की स्थापना सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए तभी की गई थी, जब किसी देश की अपनी कानूनी मिशीनरी कार्यवाही करने के लिए असमर्थ थी।
- संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ,International Court of Justice), जो सदस्य देशों के अंतर–राज्य विवादों का निपटारा करता है, के विपरीत व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
- ICC सिर्फ उन देशों के नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चला सकता है, जिसमें रोम संविधि की समझौते की पुष्टि की है या इसका अनुसमर्थन किया है।
- इसके अलावा ICC के समझौते की पुष्टि एवं अनुसमर्थन करने वाले देशों में हुए अपराध के लिए गैर सदस्य देशों के व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चला सकता है।
- हालांकि इजराइल रोम कानून का पक्षकार नहीं है लेकिन फिलिस्तीन इसका पक्षकार है।
- इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन पर फिलिस्तीन में "मानव अपराध" करने का आरोप लगा।

➢ ICC इस मामले में कैसे शामिल हुआ ?

- वर्ष 2018 में फिलीस्तीन ने अपने पूरे देश की स्थिति को ICC के सामने रखा था।

Result Mitra TM

- पुन: नवंबर 2023 में फिलिस्तीन की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोटोस और जिबूती जैसे देशों ने एक रेफरल ICC को भेजा था।
- जनवरी 2024 में चिली गणराज्य और संयुक्त मैक्सिकन राज्य ने अतिरिक्त रूप से फिलिस्तीन राज्य की स्थिति के संबंध में ICC को एक रेफरल प्रस्तुत किया था।

➢ बेंजामिन नेतन्याहू और गैलेंट पर क्या आरोप लगाया गया है ?

- इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर फिलिस्तीन में युद्ध अपराध के रूप में हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों जैसे मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगा है।
- ICC के चैंबर ने माना है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जानबूझकर गाजा के नागरिकों को भोजन, पानी, दवा और चिकित्सा आपूर्ति सहित ईंधन और बिजली सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक वंचित किया।
- ICC के अनुसार ये दोनों व्यक्तियों ने इस दौरान गाजा में जानबूझकर चिकित्सा आपूर्ति और दवाओं की आपूर्ति को रोका, जिनके कारण उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को बड़ी पीड़ा पहुंची जो हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों के रूप में वर्णित है।
- ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट द्वारा इजरायली बलों को दिए आदेशों का भी जिक्र किया, जिसके फलस्वरुप इजरायली बलों ने गाजा में यातना, अनियंत्रित हिंसा, हत्या, बलात्कार और संपत्ति के विनाश को अंजाम दिया।

➢ ICC जब गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो क्या होता है ?

- ICC के द्वारा ली गई निर्णय बाध्यकारी है लेकिन इसके लिए सहयोग सुनिश्चित करना उसके सदस्यों पर निर्भर करता है।
- अर्थात यदि नेतन्याहू और गैलेंट ICC के 124 सदस्य देशों में से किसी भी देश की यात्रा करते हैं, तो यह सदस्य देश उन्हें गिरफ्तार करके नीदरलैंड स्थित ICC के मुख्यालय "द हेग" में प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य होगी।
- इससे पहले ICC ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ICC के सदस्य देशों की यात्रा करना मुश्किल हो गया।

Result Mitra

- हालांकि नेतन्याहू के मामले में ICC के विभिन्न सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके ने अब तक इजराइल का समर्थन किया है, ऐसे में इसकी बहुत कम संभावना है कि ये देश नेतन्याहू की यात्रा करने पर उन्हें गिरफ्तार करेंगे।
- हालांकि ICC द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट फिलिस्तीन के लिए एक नैतिक जीत के रूप में काम करेगा और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबावों को और बढ़ाएगा।

Result Mitra